फर्द अहकाम

...य ACM आमेर-II जयपुर

रामसहाय बनाम गोपाल

संख्या / वर्ष दावा : 63 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/3/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज0)

समक्ष पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

मित वाद संख्या 63/2019 वाद प्रस्तुति दिनाक : 11.07.2019

रामसहाय शर्मा पुत्र दल्लाराम शर्मा हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नॉगल लाडी, तहसील–
र जिला जयपुर (मृतक दौराने वाद)
1 श्रीमती मंगल देवी पत्नि स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
2 विनोद पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
3 मनोज पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
स्त जाति हरियाणा ब्राहाण, निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर हाल निवासी 42, लक्ष्मी
, विवेकानन्द कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर।

.... वादी

बनाम

ल सिंह पुत्र छोटूसिंह
रसिंह पुत्र छोटूसिंह
सिंह पुत्र छोटूसिंह
स्त जाति राजपूत, निवासी नॉगल लाडी, तहसील आमेंर, जिला जयपुर (राज0)
कार जरिये तहसीलदार आमेर,तहसील –आमेर, जिला–जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 व 92–क</u>

निर्णय दिनांकः– 08.03.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा – वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 923 रकबा 0.34 है0,खसरा नंबर 937 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम–नांगल लाडी,पटवार हल्का –बिचपडी गिरदावर सर्किल राधाकिशनपुरा,तहसील–आमेर,जिला–जयपुर में स्थित हैं। जिस पर वादी बजमाने बुजुर्गान से बहैसियत रिकॉडेड खातेदार एवं स्वामी काबिजकाश्त चला आ रहा है।

वादी ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार व्यक्ति है तथा परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है। प्रतिवादी 1 लगायत 3 संख्या बल व भु[illegible] से अधिक तथा ताकतवर है। जो वादग्रस्त भूमि पर आये दि[illegible]

वादी सदनागरिक एवं कानून का प[illegible] तथा लडाई–झगडें से दूर रहता है। जिससे वादी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे[illegible] की भूमि के बाबत प्रतिवादीगण को जबरन अतिक्रमण न करे हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी को आये दिन धमकी देते है कि वे उसकी उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

मीन पर जबरन कब्जा कर काश्त करेगें । दिनांक 02.07.2019 को प्रतिवादीगण उक्त दग्रस्त भूमि पर एकराय होकर आये ओर वादी को काश्त करने से रोक दिया। वादी के ना करने पर मारपीट करने को उतारू हो गये।

प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 924 व 927 की भूमि वादी की खातेदारी की मि खसरा नंबर 923 व 937 से लगवा भूमि है। जो वादी की भूमि से लगवा पूर्वी सीमा पर थत है। पक्षकारान की भूमियॉं आपस में मिली हुई होने से वादी की खातेदारी की उक्त दग्रस्त भूमि पर लाठी के बल पर अतिक्रमण करने की नापाक कोशिश करते है। जिसका न्हें कोई कानूनन हक अधिकार प्राप्त नही है।

वादी अकेला व्यक्ति है तथा गरीब काश्तकार है तथा कानून को अपने हाथ मे नही ना चाहते है। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 संख्या बल व भुजबल मे वादी से धिक होने से वादी की खातेदारी की भूमि मे जबरन अतिक्रमण करते है तथा सरकश व गडालू किस्म के व्यक्ति है,अपनी खराब आदतो से बाज नही आते तथा वादीगण की ातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है।

प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर हैतथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉड एवं सीमा बंधी विवादो के निस्तारण एवं पालनार्थ उत्तरदायी होने से वाद मे पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त व स्वामित्व की मि पर जबरन अतिक्रमण करने एवं बेदखल करने की धमकी देने से वादकारण दिनांक 02 7.2019 उत्पन्न हुआ तथा लगातार उत्पन्न होने से वाद –पत्र स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना ाजिमी हुआ।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य नकल जमाबन्दी संवत 073–76 दिनांक 3.10.2016 व नकल खसरा गिरदावरी 1721 दिनांक 4.07.2019 प्रस्तुत कया है।

वादीगण ने याचित किया है कि प्रतिवादीगण डिकी स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की ादिर फरमाई जावें कि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 23 रकबा 0.34 है0 एवं खसरा नंबर 937 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13) वाके ग्राम–नांगल लाडी,पटवार हल्का –बिचपडी गिरदावर सर्किल राधाकिशनपुरा, हसील–आमेर, जिला–जयपुर मे के उपयोग–उपभोग ,कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की जामजाहमत, दखलन्दाजी न करें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज ... किया गया तथा तलबी तिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने कोई जवाब पेश नही किया तथा दिनांक 02.02.2021 ो प्रतिवादी संख्या प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 मनोज कुमार शर्मा पुत्र स्व. रामसहाय निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर
2. PW2 गणेश लाल शर्मा पुत्र श्री कालूराम निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर
3. PW3 उमेशचन्द राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर

अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

1. जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम नांगल लाडी प्रदर्श – 1
2. खसरा गिरदावरी संवत् 2073 ग्राम नांगल लाडी खसरा नम्बर 916, 934 प्रदर्श – 2

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की तिवादी की भूमि से लगवा पूर्वी सीमा पर स्थित है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद है आराजीयात खसरा नम्बर 923, खसरा नम्बर 937 का वादी रिकार्डेड खातेदार है, यह (संवत 2073 -76) से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की ा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल सावित नही किया गया हो। (संवत 2073 -76) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नं. 923 और 3. 937 पर कब्जा है। अतः वाद वादी डिक्री किये योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी को इस स्थायी से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 923 और खसरा नं. सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 63 / 2019
बउनवानी रामसहाय शर्मा बनाम गोपालसिंह

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

मित वाद संख्या 63 / 2019 वाद प्रस्तुति दिनाक : 11.07.2019

रामसहाय शर्मा पुत्र दल्लाराम शर्मा हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नॉगल लाडी, तहसील–
र जिला जयपुर (मृतक दौराने वाद)
1 श्रीमती मंगल देवी पत्नि स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
2 विनोद पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
3 मनोज पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा,
स्त जाति हरियाणा ब्राहाण, निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर हाल निवासी 42, लक्ष्मी विवेकानन्द कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर।

.... वादी

बनाम

ल सिंह पुत्र छोटूसिंह
रसिंह पुत्र छोटूसिंह
सिंह पुत्र छोटूसिंह
स्त जाति राजपूत, निवासी नॉगल लाडी, तहसील आमेंर, जिला जयपुर (राज0)
कार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 व 92–क</u>

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है। तद् अनुसार खातेदारी भूमि खसरा नं. 923 और खसरा नं. 937 की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 08.03.2022 को जारी किया ।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
म्प वकालतनामा	2 रूपये		[illegible]	[illegible]	
म्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
न्ताना वकील			महन्ताना वकील		
र्चा गवाहन			[illegible]		
स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
त इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
फरित	4 रूपये		मुतफर्रिक	4 रूपये	
जान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner